

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 40 / 2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गिलासी देवी पत्नि प्रेगराज
2. चतारी देवी पत्नि रूपचन्द
3. मिश्रीदेवी पत्नि फूलचन्द जाति मीना निवासी नारौलीचौड तिहरील बरनाला - प्रार्थीगण  
बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थी - श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 11-6-2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1404 रकबा 0.99 है० स्थित ग्राम नारौलीचौड तहसील बरनाला है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण ने सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड बनाई हुई है बरसातों में डोलमेड के नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान कृषि भूमि है इस कारण आसपास के पड़ोसी को सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद करते हैं तथा प्रार्थीगण को परेशान करते हैं इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थीगण को परेशान करते हैं इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.04.2025 को सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है किन्तु उसके बावजूद भी आस पड़ोसी कृषक प्रार्थीगण को परेशान करते हैं। प्रार्थीगण सीधे साधे कृषक है, तथा इसी का फायदा उठाकर आसपास के पड़ोसी कृषक प्रार्थीगण की भूमि को दबाने को उतारू है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ता नहीं है किन्तु उसके बावजूद भी आस पास के लोग प्रार्थीगण के सीधा साध कृषक होने के कारण परेशान कर रहे हैं। इस कारण न्याय हित में आवश्यक है कि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी की जावे ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके व प्रार्थीगण की भूमि की रक्षा हो सकें। इसलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 1404 रकबा 0.99 है० स्थित ग्राम नारौलीचौड तहसील बरनाला की पत्थरगढी मय पुलिस

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
बामनवास

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1950 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार वरनाला से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम नारोलीचौड पटवार मण्डल नारोलीचौड भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र विछौछ तहसील वरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1404 रकबा 0.99 है० स्थित ग्राम नारोलीचौड तहसील वरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नारोलीचौड पटवार मण्डल नारोलीचौड भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र विछौछ तहसील वरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1404 रकबा 0.99 है० स्थित ग्राम नारोलीचौड तहसील वरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू० अ० निरीक्षक विछौछ को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरवदल नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक विछौछ जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार वरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-6-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)  
सुपुखण्ड अधिकारी  
वामनवास (जिला सवाई माधोपुर)